भारत सरकार
जल शक्ति मंत्रालय
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2074
दिनांक 12.02.2026 को उत्तर दिए जाने के लिए

होगेनक्कल जल आपूर्ति परियोजना चरण- तीन हेतु निधि के जारी करने में विलंब

2074. श्री के. ई. प्रकाशः

क्या **जल शक्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने नई दिल्ली में केंद्रीय वित्त मंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय बजट से पहले हुई परामर्श बैठक में तमिलनाडु के वित्त मंत्री द्वारा दिए गए उस वक्तव्य पर संज्ञान लिया है जिसमें यह कहा गया था कि होगेनक्कल जल आपूर्ति परियोजना चरण-तीन के लिए केंद्र सरकार द्वारा उसकी 2,283 करोड़ रुपये की हिस्सेदारी प्रदान करने से इंकार किए जाने के कारण परियोजना की वित्तीय पूर्णता में विलंब हुआ है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और

(ग) उक्त राज्य में लाभार्थियों की पेयजल आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु लंबित निधियों को जारी करने तथा परियोजना के समयबद्ध कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम प्रस्तावित किए गए हैं?

उत्तर

राज्य मंत्री, जल शक्ति
(श्री वी. सोमण्णा)

(क) से (ग): अगस्त 2019 से, भारत सरकार देश के प्रत्येक ग्रामीण परिवार हेतु जल कनेक्शन का प्रावधान करने के लिए तमिलनाडु सहित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की भागीदारी से जल जीवन मिशन (जेजेएम) - हर घर जल कार्यान्वित कर रही है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पांच वर्ष की अवधि अर्थात 2019-20 से 2023-24 के लिए जेजेएम के कार्यान्वयन को मंजूरी दी थी, जिसके दौरान, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को मिशन के तहत जल आपूर्ति योजनाओं की आयोजना,

अनुमोदन और कार्यान्वयन को पूरा करना अपेक्षित था। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को यह भी सूचित किया गया कि जेजेएम के तहत केंद्रीय सहायता केवल मिशन अवधि के दौरान उठाए गए निधि लाभ तक सीमित रहेगी।

तमिलनाडु सरकार की राज्य स्तरीय योजना स्वीकृति समिति (एसएलएसएससी) ने जून 2023 में होगेनक्कल जल आपूर्ति परियोजना, चरण-III को मंजूरी दी; तथापि, इस परियोजना को मिशन अवधि के भीतर अवार्ड नहीं किया जा सका।

माननीय वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण 2025-26 के दौरान जेजेएम को 2028 तक बढ़ाने की घोषणा की थी।

*****